

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार शिक्षा प्रसार अधिकारी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरंतर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम शिक्षा प्रसार अधिकारी मय पदस्थापन स्थान (राजमावि) सर्वश्री	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/पद	I ग्रेड में चयन का प्रकार/कार्यग्रहण तिथि	स्वीकृत एसीपी. I, II, III	वेतन ब्रेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रामकुमार यादव, एसडीआई, से.नि. प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., टटेरा जिला-सीकर	07.11.1956	14.02.1985 व्याख्याता	सीधी भर्ती शिक्षा प्रसार अधिकारी 08.09.1995	II, 20 वर्ष III, 30 वर्ष	9300-34800 15600-39100	5400 6600	01.09.2006 14.02.2015

उपरोक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/एसीपी/एसडीआई/2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक:- 26-2-2021

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर